



## चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, बाड़ों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व [www.cybercrime.gov.in](http://www.cybercrime.gov.in) के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेट रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्कवायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 28.03.2026 को मिशन शक्ति अभियान 5.0 द्वितीय चरण के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (एफ.आर) श्री चंद्रशेखर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा की उपस्थिति में चित्रकूट पुलिस द्वारा “Run for Empowerment” का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं एवं महिला आरक्षियों के साथ-साथ मुख्य विकास अधिकारी अन्य पुलिस अधिकारीगणों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रतिभागियों के साथ “Run for Empowerment” हेतु दौड़ लगाई। दौड़ PWD से प्रारम्भ होकर ट्रैफिक चौराहा होते हुए PWD पर समाप्त हुई। पूरे आयोजन में उत्साह, ऊर्जा और सकारात्मक संदेश का वातावरण रहा।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, समाज में उनके अधिकारों एवं सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा “नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन” के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना था।

चित्रकूट पुलिस का यह प्रयास मिशन शक्ति के उद्देश्यों को साकार करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है, जो यह दर्शाता है कि जब समाज के सभी वर्ग एक साथ आगे बढ़ते हैं, तभी वास्तविक सशक्तिकरण संभव होता है।

इस दौरान प्रतिस्ार निरीक्षक श्री रामाशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह, महिला थानाध्यक्ष श्रीमती नीलम देवी व अन्य पुलिसकर्मियों ने प्रतिभाग किया।

(3). आज दिनांक 28.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह की उपस्थिति में थाना मानिकपुर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित करें साथ ही कहा कि थाना पुलिस राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर संयुक्त टीम के साथ भूमि सम्बन्धी मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित कराए। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना मानिकपुर व थाना मारकुंडी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, महिला हेल्पडेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना व हवालात का निरीक्षण कर सम्बन्धित थाना प्रभारी को रजिस्ट्रों को अध्यावधिक करने, जनसुनवाई में त्वरित कार्यवाही, विवेचना निस्तारण, वारण्टी/वांछित आदि की गिरफ्तारी एवं साफ सफाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यावही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सरधुवा के मार्गदर्शन में थाना सरधुवा पुलिस टीम ने लूट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का नाम पता का विवरण-

साहिल पुत्र रियाजतुल्ला निवासी ग्राम कोट थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक-

गडौली मोड से गांव ममसी बुजुर्ग की तरफ जाने वाले

रास्ते, 28.03.2026

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.02.2026 को वादी सतीष यादव पुत्र शत्रुघन यादव झलवा थाना एयरपोर्ट जनपद प्रयागराज ने थाना सरधुवा पर सूचान दी कि दिनांक 12/02/26 को रात्रि में उनके ट्रक /डम्पर के चालकों जिसका वाहन संख्या वाहन संख्या UP 70 MT 7002 व UP 70 MT 8794 के चालक क्रमशः दीपक गुप्ता पुत्र पुरूषोत्तम निवासी झलवा थाना एयरपोर्ट व श्यामलाल पुत्र सुकरूलाल निवासी नवाबगंज फुलवा झलवा थाना एयरपोर्ट प्रयागराज अपने अपने वाहनो को लेकर बालू खदान वीरधुमाई गंगू खण्ड संख्या 1 थाना क्षेत्र सरधुवा जनपद चित्रकूट 30प्र0 बालू लेने के लिये जा रहे थे कि रात्रि कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा जो कि असलहों के साथ थे ने बालू खदान मालिकों पर अपना वर्चस्व कायम

करने के लिए लिए हमारे दोनो चालकों पर जान से मारने की नियत से लाठी डन्डा व लोहे की राड तथा रायफल /बन्दूक के कुन्दे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

इस सूचना पर थाना सरधुवा पर मु0अ0सं0 21/26 धारा 115(2) , 109(1), 309(6), 317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 28.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरधुवा पुलिस टीम ने अभियुक्त साहिल पुत्र रियाजतुल्ला निवासी ग्राम कोट थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर को गडौली मोड से गांव ममसी बुजुर्ग की तरफ जाने वाले

रास्ते से गिरफ्तार गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

- 1.उ0नि0 श्री अजहर जमाल
- 2.का0 मुकहर सिंह
- 3.का0 दीपक कुमार

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान 5.0 के द्वितीय चरण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ के मार्गदर्शन में एण्टीरोमियों टीम मिशन शक्ति अभियान तहत ग्राम डीहपुरवा मौजा हरदीकला थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट में मामूर थी और देखा गया कि दो पक्ष आपस में विवाद कर रहे है। मौके पर जाकर पता किया गया तो ज्ञात हुआ कि प्रथम पक्ष के 1. कुलदीप पुत्र रामभवन 2. छोटू पुत्र दादूलाल निवासीगण डीहपुरवा मौजा हरदीकला थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट व द्वितीय पक्ष के 1. करन पुत्र हरिमोहन 2. गुड्डू पुत्र बाबूलाल नि०गण डीहपुरवा मौजा हरदीकला थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के मध्य लड़कियों से अनावश्यक की बात करने को लेकर आपस में वाद विवाद कर रहे थे जिन्हे रोका टोका गया परन्तु नहीं माने दोनो पक्ष को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया परन्तु दोनो पक्ष में से कोई मानने को तैयार नहीं हुए। दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर धारा 170,126,135 बीएनएसएस के तहत निरोधात्मक कार्यवाही अमल में लायी गई।

एण्टीरोमियों टीम की नाम-

- 1.उ०नि० श्री राधेश्याम सिंह
- 2.उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार राय

### 3.महिला आरक्षी प्रिया द्विवेदी

(6).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में चौकी शिवरामपुर पुलिस टीम ने लते खेलते घर से चले गए बालक को सकुशल कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.03.2026 को जरिये दूरभाष सूचना मिली कि एक बालक अंग्रेजी शराब ठेका सीतापुर रोड़ के पास घूम रहा है वह अपना नाम पता नहीं बता पा रहा है मौके पर पहुंचकर काफी खोजबीन करने के उपरांत पता चला कि बालक का नाम ओम पुत्र नीरज विश्वकर्मा उम्र लगभग 4 वर्ष निवासी खुमानी पुरवा है जो कि अर्पित विश्वकर्मा पुत्र रामकिशोर विश्वकर्मा के घर शिवरामपुर आया था सुबह घर में किसी को बिना बताए खेलते खेलते घर से बाहर निकल गया था। चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री शनि चतुर्वेदी व उनकी टीम ने बच्चे के परिजनों को चौकी बुलाकर बच्चे को सकुशल सुपुर्द किया गया।

(7). आज दिनांक 28.03.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह की उपस्थिति में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना राजापुर पुलिस टीम ने कस्बा राजापुर के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने का भरोसा दिया गया तथा पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबा एवं दो/चार पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(8). आज दिनांक 28.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जनपद चित्रकूट के जनप्रतिनिधियों के साथ गोष्ठी की गयी। इस गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय जनप्रतिनिधियों से जनपद में नागरिकों को होने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में पूछा गया तथा बेहतर कानून व्यवस्था हेतु सुझाव लिये गये।

इस गोष्ठी में सदर विधायक श्री अनिल प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अशोक जाटव, कोआपरेटिव बैंक चित्रकूट बांदा अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल,नगर पालिका अध्यक्ष श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं अन्य जनप्रतिनिधीगण उपस्थित रहे।

(9). अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जिला कारागार चित्रकूट में निरुद्ध महिला बंदियों के लिए विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

आज दिनांक 28.03.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जिला कारागार चित्रकूट में निरुद्ध महिला बंदियों के लिए विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम के दौरान महिला बंदियों को उनके विधिक अधिकारों, महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें बताया गया कि किसी भी प्रकार की उत्पीड़न की स्थिति में वे किस प्रकार सहायता प्राप्त कर सकती हैं तथा अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकती हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा महिला बंदियों को जागरूक करते हुए कहा गया कि प्रत्येक महिला को अपने अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे वह स्वयं को सशक्त एवं सुरक्षित बना

सके। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों द्वारा महिला हेल्पलाइन, महिला सुरक्षा ऐप एवं अन्य सहायता सेवाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कुलदीप सिंह एवं असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल श्री योगेंद्र सिंह एवं कारागार प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला बंदियों को विधिक रूप से सशक्त बनाना एवं उनमें जागरूकता बढ़ाना रहा।